वित्त निर्देश 07/2013

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त एवं योजना विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक 58/वित्त/नियम/चार/2013 रायपुर, दिनांक : 5 मार्च, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़।

विषयः-**वित्तीय सुधार - बजट में ''परीक्षित नवीन मद'' के रूप में शामिल प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।**

प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत् बजट में ''परीक्षित नवीन मद'' के रूप में सम्मिलित प्रस्तावों की स्वीकृति के लिये **प्रशासकीय विभागों को रूपये 5 करोड़ तक के वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित हैं।** उक्त सीमा से अधिक नवीन मद् के प्रकरणों में प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। परीक्षित नवीन मद् से तात्पर्य ऐसी नवीन योजनाओं से है, जिन्हें वार्षिक बजट में सम्मिलित करने से पूर्व वित्त विभाग द्वारा योजना के स्वरूप, लाभान्वित होने वाले हितग्राही, अनुदान की सीमा (जहां लागू हो), योजना की लागत तथा वित्तीय भार आदि का सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है।

2. राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार ऐसे परीक्षित मद् के **प्रकरणों में स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करते हुए निर्धारित रूपए 5 करोड़ की सीमा को समाप्त किया जाकर, प्रशासकीय विभाग को निम्नलिखित शर्ताधीन सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजित किया जाता है :-**

2.1 नवीन मद के ऐसे प्रस्ताव में **पद सृजन तथा वाहन क्रय के प्रस्ताव सम्मिलित होने की स्थिति में इन मदों की स्वीकृति के लिये वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।**

2.2 वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी आदेशों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2.3 लोक निर्माण विभाग के बजट में परीक्षित नवीन मद के रूप में सम्मिलित सड़कों, पुल/पुलिया तथा जल संसाधन विभाग की लघु सिंचाई योजनाएं एवं एनीकट के प्रकरणों में, **वित्तीय वर्ष में जारी की जाने वाली कुल प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा, राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुये पृथक से निर्धारित की जाएगी।**

2.4 वित्तीय वर्ष में बजट में शामिल व्यय के नवीन मद् पर यदि उस वर्ष प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है, तो ठीक उसके आगामी वित्तीय वर्ष तक नवीन मद् वैध रहेगा ।

2.5 प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी स्वीकृति आदेश की प्रति वित्त विभाग एवं महालेखाकार को पृष्ठांकित की जाएगी ।

3. **यह निर्देश केवल ''परीक्षित नवीन मद्'' के लिए लागू होगा। ''अपरीक्षित नवीन मद्'' के प्रस्तावों के लिए वित्त निर्देश 25/2012 दिनांक 10 मई, 2012 द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार यथावत् रहेंगे।**

4. वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-1 के संशोधन की प्रति संलग्न है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(डी.एस. मिश्र)
अपर मुख्य सचिव
वित्त एवं योजना विभाग

पृष्ठां. क्रमांक 59/वित्त/नियम/चार/2013 रायपुर दिनांक : 5 मार्च, 2013

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर की ओर वित्त विभाग की बेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग

AMENDMENT

BOOK OF FINANCIAL POWERS
VOLUME I

SECTION III
POWERS DELEGATED IN RESPECT OF BUDGETARY MATTERS.

S.No. 3 is replaced as under :-

S.No.	Description	Authority Competent to exercise the Power	Extent of delegation	Condition
3.	Approval and sanction of plan schemes included as scrutinized item in the budget.	Administrative Department Head of Department	Full Powers 1 crore	Subject to observation of rules and norms including those pertaining to economy measures like ban on creation of new posts, ban on purchase of new vehicles, appointment on daily wages etc.

Dy. Secretary
Finance Department